आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया गया सर्वेक्षण

1267. **डा० वाई. लक्ष्मी प्रसाद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय जल आयोग ने आंध्र विश्वविद्यालय के माध्यम से गोदावरी डेल्टा क्षेत्र की परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक, कृषि-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करवाया है,

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) उन निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्ष दर्शाते हुए विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) इसकी निष्कर्ष और सिफारिशें राज्य सरकार को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई है।

विवरण

सर्वेक्षण के निष्कर्ष हैं:—

आर्थिक-सामाजिक विशेषताएं

i) डेल्टा में परिवार का औसत आकार 4.33 है। 4.01 हेक्टेयरतथा इससे अधिक की जोत के लिए भूमि जोत में 4.34 से 5.79 तक की वृद्धि होने से परिवार के आकार में वृद्धि होती है। श्रमिक परिवार में कार्य की भागीदारी की दरें ऊंची हैं और कृषक परिवारों में कम है।

ii) परचालानात्मक भूमि जोत वितरण का स्वरूप निम्न प्रकार है:

जोत आकार (हेक्टेयर में)	परिवारों का प्रतिशत
.01—1.0	57.5
1.01—2.0	20.3
2.01—4.0	12.2
4.01 एवं उससे अधिक	10.0

iii) आय के स्वरूप का वितरण इस प्रकार है:

परिवारों का प्रतिशत	आय का प्रतिशत	
कृषक	36.3	55.2
खेतिहर मजदूर	41 3	22.2
अन्य घरेलू (विनिर्माण, व्यापार, वाणिज्य आदि)	22.4	22.6

कृषि-आर्थिक विशेषताएं

i) सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार फसली क्षेत्र का लगभग 90% एच वाई वी धान के अंतर्गत है।

ii) क) औसत उत्पादन/हेक्टेयर
खरीफ धान: 3.74 टन
रबी धान: 4.71 टन
ख) निवेश-उत्पादन अनुपात
खरीफ धान: 1:1.95
रबी धान :1:1.90

iii) कृषकों परिवारों की कुल आय में से 73% कृषि से और 9% मजदूरी से है।

iv) कृषक परिवारों की मुख्य परिसंपत्ति भूमि है और यह उनकी कुल परिसंपत्ति के मूल्य का लगभग 60% बनता है।

v) 36% ऋण आवश्यकताएं संस्थागत वित्तीय अधिकरणों द्वारा पूरी की जाती हैं जबकि निजी महाजनों द्वारा कृषकों को 64% ऋण मुहैय्या कराया जाता है।

पर्यावरणीय पहलू

पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में प्रेक्षण नीचे दिये गये हैं:—

i) कोलेरन क्षेत्र में जोती गई भूमि कर्म से अपवहन द्वारा वहां कर ले जायी गई कीटनाशक दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई हैं।

ii) जलमग्न क्षेत्रों में जल जमाव और उसके परिणामस्वरूप लवणता में हुई वृद्धि के कारण भूमि की

iii) जल निकायों में औद्योगिक कचरा और कृषिजन्य कीटनाशकों के अन्तर्वाह के कारण डेल्टा क्षेत्र में मत्स्य पालन की क्षमता कम होती जा रही है।

किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर की गई नीति गत सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

1. आधुनिकीकरण में शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिये, जिसके लिए, कृषि विभाग को भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाये।

2. रिसाव से होने वाली हानियों को कम करने के लिए मुख्य नहर प्रणाली के साथ-साथ खेत चैनलों को भी पक्का करना चाहिये।

3. अंतिम छोर के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए समुचित जल प्रबंध की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

4. आधुनिकीकरण के एक भाग के में जल निकास कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिये और जल

जमाव तथा लवण से प्रभावित क्षेत्रों का पुनरूद्धार करने से संबंधित उपाय किये जाने चाहियें।

5. रबी के मौसम में शुष्क सिंचाई फसल उगाने तथा ग्रीष्मकाल में दालें अथवा चारा फसलें उगाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

6. समन्वित ग्राम विकास के लक्ष्य पाने के लिए बाजार केन्द्रों और सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की योजना बनाने, साथ साथ उसका आधुनिकीकरण भी किया जाये।

7. कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और आधुनिकीकरण के अलावा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए छोटे पैमाने एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये।

8 चूंकि डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण से कृषि का विकास पठारों तक पहुंच गया है, इसलिये क्षेत्र का और विकास पूरी तरह से द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के विकास पर निर्भर करता है। वर्तमान फालतू कृषि उपज को इन गतिविधियों में विनियोग के रूप में खपाया जाना चाहिये। उत्पादक विनियोग से विशिष्ट उपभोग में विनियोग किये जाने वाली निधियों के प्रवाह को रोकने के लिये सरकार द्वारा नीतिगत उपाय किये जाने चाहियें।

9. गोदावरी डेल्टा के आधुनिकीकरण में इस क्षेत्र के विकास और भूजल क्षमताओं के संयुक्त उपयोग से संबंधित एक मास्टर योजना को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

10. गोदावरी डेल्टा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति बनाने के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि इस डेल्टा क्षेत्र में विशेष रूप से कोलेरन झील में परिस्थिति की संतुलन का संरक्षण किया जा सके।

Setting up of handloom development centres and quality dyeing units

1268 DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Central Government has sanctioned only 79 Handloom Development Centres in 1993-94 and one in 1994-95 and 43 Quality Dyeing Units for 1994-95;

(b) whether in respect of 1995-96, target was 126 Handloom Development Centres and 16 Quality Dyeing Units;

(c) whether the State Governments had requested for enhancing 250 Development Centres and 50 Quality Dyeing Units in 1996;

(d) whether in 1996—97 another proposalfor 175 Handloom Development Centres and 35 Quality Dyeing Centres were submitted.

(e) whether State Governments were very keen the complete the implementation of these Handloom Developing Centres and Quality Centres; and

(f) if so, the total proposal sanctioned so far and by when the remaining proposals are likely to be sanctioned?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) During 1993-94, 267 Handloom Development Centres and 66 Quality Dyeing Units were sanctioned and during 1994-95, 605 Handloom Development Centres and 134 Quality Dyeing Units were sanctioned.

(b) Statewise specific targets have not been fixed for the year 1995-96.

(c) to (f) It is the responsibility of the concerned State Director Incharge of Handlooms to Identify the Primary Handloom Weavers Coop. Societies for implementation of the Scheme and recommend them to Government of India for sanction of site for setting up of Handloom Development Centre and Quality Dyeing Unit. All such proposals fulfilling the requisite norms/conditions laid down under the Scheme are considered for release of central grant.

Since 1993-94 till date 1301 Handloom Development Centres and 247 Quality Dyeing Units have already been sanctioned depending upon the viable proposals sent by the various State Government.

A statement showing Statewise number of Handloom Development Centres and Quality Dyeing Units sanctioned as on date is annexed.

Statement

Details of Handloom Development Centres and Quality Dyeing Units

S.No .	State	No. of HDCs sanctioneshnctionei	No. of QDUs
1.	Andhra Pradesh	167	41
2.	Assam	103	